तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/154/2003/हनुमानगढ़ राजकुमार बनाम कृष्णलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य** उपस्थितः श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी। श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **निर्णय** दिनांक 13–6–2025 यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 सपठित 221 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किया गया है। 3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन नियम, 1955 की धारा 8 (2) के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चक 14 एफ.टी.पी. स्थित विवादित आराजीयात बाबत् रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 26–12–2002 को प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–12–2002 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। उनका यह भी कथन है कि चक 14 एफ.टी.पी. के मुरब्बा नंबर 47 के पत्थर नंबर 183/2555 प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता श्री प्रमाण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज है। इस भूमि को प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 कृष्णलाल को घरेलु बंटवारे व गुजारे के लिए काश्त हेतु दे रखी है। जब तक विवादित भूमि का विधिवत् बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों अपने पिता की भूमि में बराबर हिस्सेदार व हकदार है। इस प्रकार प्रार्थी एक हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार है, जिसे रास्ते संबंधी प्रकरण में सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2002 निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टीए/154/2003/हनुमानगढ़
राजकुमार बनाम कृष्णलाल</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>10 सीपीसी स्वीकार किया जावे।

5— अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि चक 14 एफ.टी.पी. स्थित विवादित आराजीयात प्रार्थी राजकुमार के कब्जे काश्त में होने एवं उक्त भूमि बंटवारा में मिलने का कथन गलत एवं निराधार है। जमाबंदी संवत् 2057 में विवादित भूमि श्रीप्रमाण के नाम दर्ज है। इसलिए राजकुमार का रास्ता के प्रकरण से प्रभावित पक्षकार होने का कथन गलत है। राजकुमार प्रमाण का पुत्र एवं उसने प्रमाण को नाजायज तंग एवं परेशान करने के उद्देश्य से गलत आवेदन किया है। विवादित भूमि पर राजकुमार का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को खारिज कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर चक 14 एफ.टी.पी. स्थिति विवादित आराजीयात बाबत् रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रार्थी द्वारा दिनांक 26—12—2002 को एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण में बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30—12—2002 द्वारा खारिज कर दिया गया। हस्तगत प्रकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10 (2) से संबंधित है जो कि निम्नानुसार है—

"(2) Court may strike out or add parties- The Court may at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the Court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name, of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, be added."</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/154/2003/हनुमानगढ़ राजकुमार बनाम कृष्णलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां न्यायालय यह समझता है कि न्याय के निपटारे के लिए किसी को वादी या प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, तो उन्हें न्यायालय पक्षकार बनाने का आदेश दे सकता है। हस्तगत प्रकरण रास्ता स्वीकृति का है एवं अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण के लम्बित रहते प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसे प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं मानकर उसका प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उनकी क्षेत्राधिकारिता में होकर प्रार्थी को किसी भी दृष्टिकोण से हितबद्ध पक्षकार नहीं माना है। उक्त प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इस प्रकार हमारी राय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत् पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रार्थना–पत्र केवल प्रकरण को देरीना करने के उद्‌देश्य से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है, जो खारिज योग्य ही था। इस संबंध में आर.बी.जे. 2020 पृष्ठ 264 में यह अभिमत निर्धारित किया है कि– "Civil Procedure Code 1908-Order 1 Rule 10-Impleadment of parties-When no relief has been claimed against respondent no 2 and 3 nor any of their rights are likely to be effected.They cannot be impleaded as party." इसी प्रकार में आर.बी.जे. 2019 पृष्ठ 240 में यही मत अभिनिर्धारित किया है कि– "CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908-Order 1, Rule 10-When petitioners are neither the necessary nor proper party in the dispute- They cannot be impleaded as party." उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं। 8– उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	